

प्रतिवेदन

परियोजना का नाम:-

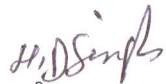
जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत सौनला-काण्डारा मोटर मार्ग से कांचुला-गैन मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.780 हे० आरक्षित/वन पंचायत भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.220 हे० कुल भूमि 4.000 हे०का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत सौनला-काण्डारा मोटर मार्ग से कांचुला गैन मोटर मार्ग के निर्माण की स्वीकृति राज्य योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या 3174/111-2/06-32 (प्रा०आ०)/08 दिनांक 27/11/2006 द्वारा 10.00 कि०मी० लम्बाई हेतु लगातार रु० 168.00 लाख की प्राप्ति हुयी है। 7.200 कि०मी० की लम्बाई में मार्ग निर्माण से ग्राम गैनसंजाकटा जुड़ जायेगा। इस क्षेत्र में अभी तक कोई मार्ग निर्मित नहीं है इस मार्ग के निर्माण से क्षेत्र का समग्र विकास सम्भव होगा। साथ ही ग्रामीण अपनी नकदी फसलों को बाजार तक लाने में सुविधा होगी। तथा उचित दाम पर बेच सकेंगे। जिसमें ग्रामीण को आर्थिक लाभ मिलेगा।

मार्ग का संरक्षण इस प्रकार निर्धारित किया गया है कि मार्ग निर्माण न्यूनतम वन पंचायत/आरक्षित वन भूमि/ वन पंचायत भूमि से गुजरे एवं कम से कम वृक्षों का पातन होगा। मार्ग पर पडने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार

1- आरक्षित वन भूमि:-	2.100 हे०
2- वन पंचायत भूमि:-	1.680 हे०
3- निजि भूमि:-	1.260 हे०
4- मक डिस्पोजल हेतु:-	0.220 हे०
योग:-	5.260 हे०

इस प्रकार कुल भूमि 5.206 हे०, आरक्षित/वन पंचायत/निजि भूमि/मक डिस्पोजल स्कीम हेतु प्रभावित होगी। जिसके लिये वन भूमि की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव गठित किया गया है।



अमीन



कनिष्ठ अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
गौचर



सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
गौचर



अधिशाली अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
गौचर